



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125051

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19245/2026

सतीश @ पटवारी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : गीतम सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गीतम सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. सिंह को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें सुनवाई के लंबित रहने के दौरान थाना महुआखेड़ा, जिला अलीगढ़ में दर्ज धारा 302 आई.पी.सी. के तहत मुकदमा अपराध संख्या 60/2024 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया है कि आवेदक और सह-आरोपी रवि कुमार को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा आवेदक और सह-आरोपी रवि कुमार के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है, जिन्हें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 23.04.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30045/2024 अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में पारित किया गया है। आवेदक 17.03.2024 से जेल में बंद है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और मृतक मीरा देवी के साथ बातचीत कर रहे थे और इस वजह से उक्त मीरा देवी और आवेदक के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद, घटना के कथित दिन आवेदक और मृतक के बीच कुछ तीखी बहस हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया है कि आवेदक और सह-आरोपी रवि कुमार को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। सह-आरोपी रवि कुमार, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30045/2024 में पारित दिनांक 23.04.2025 के आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है, यह सामने आया है कि आवेदक और मृतक मीरा देवी के साथ बातचीत कर रहे थे और घटना के कथित दिन उक्त मीरा देवी के बीच आवेदक के बीच कुछ तीखी बहस हुई थी और कहा कि मीरा देवी और मीरा देवी ने मृतक को सूचित किया उक्त घटना के बारे में और उसके बाद मृतक और आवेदक के बीच कुछ तीखी बहस हुई।

5. तथ्यों, प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति है।

6. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- **सतीश @ पटवई** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उन्हें अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक (i) सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026